न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2020 राजस्व अपील

1. कालू पुत्र हजारी जाति बैरवा निवासी ग्राम मोरोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय निर्णय दिनांक 28.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कालू, प्रकरण सं. 226/2018 अ. धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैराकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 12.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा में इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम गेरोजी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गै. मु. तालाब पर काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये इकतरफा में निर्णय पारित कर अपीलान्ट को तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया। पटवारी हल्का ने अतिक्रमित भूमि का मौका नहीं देखा व इकतरफा में निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा झूंठी मौका रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका भी नहीं दिया गया। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई रिकॉर्ड व

अति. जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेज भी नहीं है जिससे अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना साबित हो। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गेरोजी तहसील सिकराय में स्थित प्रश्नगत गै. मु. तालाब की भूमि खसरा नं. 151 रकबा 0.25 है. पर अतिक्रमण नहीं होने एवं अतिक्रमणशुदा भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम गेरोजी तहसील सिकराय में स्थित प्रश्नगत गै. मु. तालाब की भूमि खसरा नं. 151 रकबा 0.25 है. पर काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 28.08.2018 को पेनल्टी कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 151 रकबा 0.25 है. किस्म गै. मु. तालाब के किसी भी भाग पर वर्तमान में कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं होने एवं अतिक्रमणशुदा भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत गै. मु. तालाब की भूमि खसरा नं. 151 रकबा 0.25 है. ग्राम गेरोजी उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official